

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 16/10/19

:: आदेश ::

पदमालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष उदभूत राजस्थान राज्य के प्रकरणों में उनकी सहायतार्थ सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, अधिवक्ता को उनके सहायक (जूनियर) अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।


नोट:—स्नेहा रवि अय्यर, अधिवक्ता को सहायक (जूनियर) अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु प्रति प्रकरण प्रति दिवस रुपये 550/— की फीस देय होगी।

आज्ञा से,

हं
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. पदमालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली।
5. संबंधित अधिवक्ता।
6. अधिकरण शाखा, विधि विभाग।
7. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
8. लेखा शाखा, विधि विभाग।
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि